जी.एस.टी. के बीच घिरा हुआ आर्थिक परिवेश

व्यास मालवीय श्रद्धा* एवं गुप्ता मुदिता
समाजशास्त्र विभाग, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर, भारत
*shraddhasocio@gmail.com

भारत में कोई भी कानून बनने से पहले उससे बचने और उसकी गिरफ्त से निकलने के तरीके खोज लिये जाते है। ऐसे ही जी.एस. टी. जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और महज डेढ़ वर्ष पूर्ण तरीकों की फेहरिस्त लम्बी हो गई है।

भारत में 1 जुलाई 2017 को विभिन्न अटकलों और उहापोह के उपरान्त वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया। ये एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे अनेक देशों ने काफी पूर्व से ही लागू कर दिया था। सर्वप्रथम फ्रान्स ने 1954 में लागू किया और भारत में भी अर्थशास्त्रियों द्वारा इस कर का लागू होना एक बड़ा आर्थिक सुधार माना जा रहा है।

केंद्र राज्यों के विषय में यह कर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कर के लागू होने के पूर्व देश में अनेक प्रकार के कर लिये जाते थे जो राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर प्राप्त होते थे। ये कर वस्तुओं पर 30 से 35% तक और किन्हीं वस्तुओं पर 50% भी होते थे, लेकिन जी.एस.टी. आने के बाद सभी तरह की वस्तुओं पर एक जैसा ही कर लगाया गया। यह दरें अधिकतम 28% हो गयी तथा अन्य सभी करों को समाप्त कर दिया गया है जैसे – एक्साइज डयूटी, सर्विस टेक्स, वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी कर जैसे बहुत सारे करों की जगह केवल एक कर जी.एस.टी. लगाया गया।

कराधान सिद्धांत के तहत अर्थशास्त्री अन्तिम चरण में करों की अधिरोपण प्रक्रिया को सबसे बेहतर मानते है और जी.एस.टी. में भी सिर्फ अन्तिम स्तर पर कर अधिरोपण का प्रावधान है। इसके द्वारा करों के संग्रह का बढ़ावा मिला है। वहीं करों पर छूट के कई गैर जरूरी तरीकों को भी कम किया गया है। दरअसल हमारे संविधान के भाग (क) के अन्तर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य केन्द्र और राज्यों के बीच करों के अधिरोपण और वितरण सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं जिनके तहत राज्यों में बिक्री कर, चुंगी कर, वैट समेत तमाम कर राज्य सरकार लगाती थी और केन्द्रीय कर जैसे – उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि केन्द्र सरकार लगाती थी। इसी व्यवस्था के चलते राज्यों को अंदेशा था कि जी.एस.टी. के लागू होने पर कराधान में उनकी स्वायत्तता नहीं रहेगी। यही नहीं उन्हें राजस्व का भी नुकसान होगा। इस हेतु केंद्र द्वारा राज्यों को कर घाटे को पाटने के लिये वित्त सहायता देने का प्रावधान जी.एस.टी. व्यवस्था के तहत किया गया। इन्हीं सब आर्थिक आधारों को समझते हुए केंद्र व राज्यों के बीच में जी.एस.टी. को क्रियान्वित करने हेतु एक राय बनी। आर्थिक विकास में जटिलताओं को दूर करने की दिशा में जी.एस.टी. इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि यह बिक्री के स्तर पर वसूला जाता है और निर्माण लागत पर लगाया जाता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में एक समानता के साथ–साथ कमी भी आयी।

जी.एस.टी. से जहां सम्पूर्ण आर्थिक समानता आयी है वहीं राज्यों को भी अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। जिनका विवेचन निम्न बिंदुओं में किया जा सकता है :–

सरल और आसान प्रशासन : केन्द्र राज्य स्तर पर बहुआयामी अप्रत्यक्ष करों को जी.एस.टी. लागू करके हटाया जा रहा है। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जी.एस.टी. केन्द्र और राज्य द्वारा अभी तक लगाये गये सभी अन्य प्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रशासनिक नजरियें से बहुत सरल और आसान हो गया।

कदाचार पर बेहतर नियंत्रण : मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जी.एस.टी. से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त हुए। मूल्य संवर्धन की श्रृखंला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट का क्रेडिट कर सुगम हस्तान्तरण जी.एस.टी. के स्वरूप में एक अन्तः निर्मित तन्त्र है जिससे व्यापारियों को कर अनुपालन में प्रोत्साहन मिला। जी.एस.टी. के अन्तर्गत पूर्व के रजिस्ट्रेशन से 50% अधिक होना इसका बेहतर उदाहरण है।

अधिक राजस्व निपुणता : जी.एस.टी. से सरकार के कर राजस्व की वसूली, लागत में कमी आई इसलिए दूसरे उच्च राजस्व निपुणता को बढ़ावा मिला है।

विदेशी निवेशको को आमंत्रण :
हमारे देश में कई राज्यों में विदेशी निवेशक आने को आतुर हैं और यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वह इस अवसर को कैसे प्राप्त करें। आर्थिक निवेश में कराधान सम्बन्धी जटिलताओं को बड़ी बाधा माना जाता है और जी.एस.टी. इस प्रक्रिया को आसान बनाकर निवेशकों को आकर्षित करता है। ये राज्यों और केन्द्र दोनों के ही हित में है। वित्त वर्ष 2017–18 में देश को लगभग 2652 अरब रूपये का एफडीआई मिला।

कर वितरण विवाद का समाधान :
राज्यों और केन्द्र के बीच कर वितरण विवाद जो पहले सामान्य रूप से बना रहता था उसे भी समाप्त करता है जैसे लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने जी.एस.टी. का विरोध ही इस आधार पर किया था कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2010 से 2015 के बीच केन्द्रीय सेवा करों का पश्चिम बंगाल को नहीं दिया। जी.एस.टी. के लागू होने बाद ऐसे विवादों में अवश्य ही कमी आयी है।

इतने सारे लाभ के बाद भी कुछ मुनाफाखोर लोगों ने अपने फायदे के लिये पूर्व की तरह कर से बचने के लिऐ अनेक उपाये निकाल लिये और जी.एस.टी. की भी चोरी करने लगे। यह चोरियाँ छोटी–छोटी न होकर करोड़ों रूपये की है। जी.एस.टी. अप्रत्यक्ष कर है जिससे बचने के और चोरी के तीन तरीके सामने आये है :– उदाहरण के लिए 10 से 25% कमीशन पर फर्जी बिल खरीदे, टैक्स चुकाया सिर्फ 180 रूपये।

पहला तरीका फर्जी बिल चले, माल बिका नही : फर्जी कम्पनी ए से दूसरे व्यक्ति बी ने एक लाख रू. के माल खरीदी का सिर्फ बिल लिया इस राशि पर 18% जी.एस.टी. यानी 18,000 रूपये टैक्स हुआ। बिल देने वाली फर्जी कम्पनी ने 10% कमीशन यानी 1800 रूपये कमीशन ले लिया। बी अब ग्रे मार्केट से माल ले लेता है और फर्जी बिल से उस माल का आना बता देता है। बी जब यह माल किसी को देता है तो लाभ जोड़कर 1 लाख 1 हजार रूपये में बेचता है और उस पर 18% यानी 18,180 रूपये टैक्स हो जाता है। जबकि वह सरकार को केवल 180 रूपये ही कर भरता है।

दूसरा तरीका माल खरीदने वाला सही पर दलाल से बिके बिल : यह भी होता कि बी सही व्यक्ति हो लेकिन लोहे, स्क्रेप, में माल दलालो के जरिये आता है, दलाल इन्हे माल नं. दो बाजार से भिजवा देता है और बिल फर्जी फर्म का दे देता है। उसे इसकी जानकारी ही नहीं होती कि फर्जी फर्म से बिल मिला।

तीसरा तरीका ई. वे बिल जारी कर बुलवा लिया नं. दो का माल : इस तरीके में इन फर्जी फर्म के नाम से ई. वे बिल जारी कराये जाते है और फिर माल एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जाता है। यहाँ पर यह माल नं. दो के बाजार में कच्चे में बेच दिया जाता है क्योंकि फर्जी फर्म से जारी ई.वे बिल भी फर्जी है, जो ट्रेस नहीं होगा।

भारत में कई जी.एस.टी. घोटाले उजागर हुऐ हैं और कई जांच के दायरे में है। इनमें से प्रमुख अग्रलिखित है :–

- हरियाणा की सायबर सिटी गुरूग्राम में देश का पहला जी.एस. टी. घोटाला सामने आया था। इस घोटाले में 50 करोड़ रूपये से ज्यादा घाटा सरकार को हुआ।
- गाजियाबाद नोयडा और दिल्ली की फर्मों के साथ मिलकर कुल 297 करोड़ रूपये से अधिक के फर्जी खरीदी बिक्री बिल तैयार करने और तरीके से 50 करोड़ रूपये रिफंड हासिल करने का मामला है।
- जी.एस.टी. खुफिया महार्निदेशालय ने तमिलनाडु में फर्जी बिल पर्ची के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (उत्पादन सामग्री पर लगे कर के लाभ का दावा) करने के गोरख धंधे में लगी फर्जी कम्पनियों के एक गिरोह को पकड़ा था। इन कम्पनियों द्वारा 220 करोड़ रूपये के मामले की फरोख्त की पर्चियाँ तैयार की थी।
- झारखण्ड में फर्जी दस्तावेजों के जरिये लिये गए जी.एस.टी. नं. 37 करोड़ रूपये का घोटाला उजागर होने के बाद झारखण्ड के साथ देश भर में अलर्ट जारी किया गया है।
- हाल ही में म.प्र. में 1100 करोड़ के जी.एस.टी. घोटाले का खुलासा हुआ। लगभग एक महीने पहले इन्दौर के वाणिज्य कर विभाग और सेन्ट्रल जी.एस.टी. ने जांच के दौरान यह फर्जीवाड़ा उजागर किया जिसमें कागजों पर फर्जी कम्पनियाँ बनकर फर्जी बिल जारी करते हुए टैक्स की चोरी की जा रही थी। इसमें म.प्र. सहित 5 राज्यों की 400 से ज्यादा फर्जी कम्पनियाँ सामने आई।

निष्कर्ष :

ऐसे ही न जाने कितने देखे–अनदेखे जी.एस.टी. घोटालों की सूची आज मुख्य रूप से आर्थिक जगत के पटल पर कायम है ये वर्तमान अर्थव्यवस्था के विकास के लिये मुख्य समस्या बने हुऐ हैं। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये देश की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है जिसके लिये मात्र सरकार या प्रशासन ही जिम्मेदार नहीं है, व्यापारी वर्ग और आम जनता की भी बहुत बड़ी भागीदारी भी देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने हेतु आवश्यक है।

संदर्भ :

1. पंकज के सिंह, भारत का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार – जी.एस.टी.

2. विनोद कुमार जी.एस.टी. मेड ईजी

3. भरत निमा जी.एस.टी. कहीं चूक ना हो जाए

4. भारत का संविधान – जे.एन. पाण्डे

5. www.jansatta.com

6. hindi.indiatbnews.com

(Received 5th January 2019, accepted 24th January 2019)